353992 - लेंडो प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऋण वित्तपोषण प्लेटफार्मों के साथ लेनदेन का हुक्म

प्रश्न

मेरे पास ऋण वित्तपोषण प्लेटफार्मों के बारे में एक प्रश्न है, जिनमें से कुछ इस्लामी शरीयत के नियमों के अनुसार हैं; जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और लेंडो प्लेटफॉर्म। यह बहरीन में शरई रिव्यू ब्यूरो (एसआरबी) की राय के आधार पर है, जिसमें डॉ. अल-मुज़ैनी, अश-शल्हूब और अल-क़री शामिल हैं। मेरा प्रश्न यह है : क्या शरई रिव्यू ब्यूरो (एसआरबी) शरीयत के दृष्टिकोण से एक विश्वसनीय स्रोत है या नहीं?

विस्तृत उत्तर

लेंडो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को देखने से, हमें इसका विवरण नहीं मिला कि यह क्या कार्य करता है। लेकिन उसमें जो कुछ वर्णित है उससे दो चीजें ग्रहण की जा सकती हैं :

1- यह प्लेटफ़ॉर्म उस इनवॉइस (रसीद) को खरीदता है जो उस कंपनी पर बकाया होता है जो वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) का अनुरोध करने वाली है। लेकिन वेबसाइट पर इसका कोई विवरण नहीं है। लेकिन मूल सिद्धांत यह है कि ऋण (क़र्ज़) खरीदना हराम है।

2- यह प्लेटफ़ॉर्म सामान खरीदने में निवेशक का वकील होता है, फिर वह फाइनेंसिंग का अनुरोध करने वाली कंपनी को क्रेडिट पर बेचता है, फिर वह उस सामान को दूसरे मर्चेंट को बेचने के लिए कंपनी का वकील (एजेंट) हो जाता है, ताकि कंपनी नक़द प्राप्त कर सके।

यह एक हराम (निषिद्ध) संगठित तवर्रुक़ है। इसे हराम घोषित करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक फ़िक़्ह परिषद द्वारा एक निर्णय, तथा मुस्लिम विश्व लीग की फ़िक़्ह परिषद द्वारा भी एक निर्णय जारी किया गया है।

इस संक्षेप (जानकारी) के साथ, हमारे लिए उसपर फैसला देना संभव नहीं है, जो कुछ लेंडो प्लेटफॉर्म, तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म करते हैं।

हमें शरई रिव्यू ब्यूरो (SRB) के मानकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालाँकि, यह बात सर्वज्ञात है कि कुछ शरई समितियाँ कभी-कभी ऐसी चीजों को अनुमेय कर देती हैं, जिन्हें अन्य लोग हराम (निषिद्ध) समझते हैं, जैसे कि संगठित तवर्रुक़, मिश्रित शेयर, देरी के लिए जुर्माना निर्धारित करना, ऋण को किसी और चीज़ में बदलना, और इसी तरह अन्य चीज़ें।

इसलिए, यदि आप उसका हुक्म जानना चाहते हैं, जो कुछ ऋण वित्तपोषण मंच करते हैं, तो हमें उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में एक विस्तृत चित्र दें।

अनुमेय तरीक़ों में से एक यह है कि प्लेटफ़ॉर्म उस कंपनी को क्रेडिट पर कोई सामान बेचे, जो वित्तपोषण चाहती है, फिर कंपनी नकदी जुटाने के लिए वह सामान खुद बेचे। यह तवर्रुक़ अनुमेय है।

या कंपनी सामान न खरीदे और उसके वित्तपोषण के उद्देश्य से मंच (प्लेटफ़ॉर्म) को इनवॉइस (रसीद) ने दे। इसके बजाय, वह मंच के साथ ‘मुराबहा’ का अनुबंध (लाभ-साझाकरण अनुबंध) कर ले। इसलिए प्लेटफ़ॉर्म एक वैध खरीद के रूप में सामान को अपने लिए खरीदे, फिर उसे किश्तों में कंपनी को बेच दे।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।